राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: F4(5)RD/NREGS/GW/09-10 जयपुर,दिनांक: 15.04.2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(समस्त) राजस्थान

विषयः नरेगा में मस्टररोल एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 9 व 10 अप्रेल, 2009 को मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा राज्य के कई जिलों का भ्रमण कर नरेगा की क्रियान्विति की वास्तविक स्थिति ज्ञात की गई। भ्रमण के दौरान एक प्रमुख बात उभर कर सामने यह आयी, कि नरेगा कार्य के लिए काम में लिए जा रहे मस्टररोल एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों पर अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करते समय दिनांक अंकित नहीं की जाती है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि विलम्ब किस स्तर पर हुआ है। अतः इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. मस्टररोल पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह मेट/कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ग्राम सेवक/सरपंच/कार्यक्रम अधिकारी आदि जो भी हैं वह हस्ताक्षर के साथ–साथ दिनांक भी अंकित करेंगें।
2. मस्टररोल जब भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाये तो उसका Movement रजिस्टर संधारित किया जाये, ताकि भुगतान प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के कारण पता कर इसे दूर किया जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

15/4/09

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं
आयुक्त, ईजीएस